जनजाति उप–योजना क्षेत्र में महिला विकासकारी सरकारी योजनाएँ

आशा मीणा

राजनीति विज्ञान विभाग

जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ

(डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर

भूमिका :– भारतीय समाज एक ग्रामीण परिवेश का समाज है। लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण वर्ग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वाधिक पायी जाने वाली जनसंख्या जनजातिय वर्ग की है। जनजातिय समुदाय स्वयं में अपनी अलग पहचान रखता है। सामान्यतः जनजाति समाज उस समुदाय से है जो पहाड़ी व जंगल में रहती है जिसकी अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा, नृजातीय पहचान होती है।

पारिभाषिक रूप से कर्नल जेम्स टॉड ने 'वन पुत्र' की संज्ञा दी है।

जनजातिय लोगो के त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए प्रो. एस. सी. दूबे की अध्यक्षता में शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 1972 में गठित एक विशेष समिति ने जनजातिय उप–योजना युक्ति विकसित की थी जिसे पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया।[1]

महिला विकास के सन्दर्भ में नीति निर्धारण के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर विविध विभागों एवं बोर्डो का गठन किया गया। महिलाओं के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय संरचना मिलती है।

1. केन्द्रीय अभिकरण
2. राज्य अभिकरण
3. स्थानीय अभिकरण

परन्तु इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य अभिकरणों की है। केन्द्र में आयोजन और कार्यान्वयन के मुख्य अभिकरण–

योजना आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय है।[2] मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड मुख्य अभिकरण है।

महिलाओं और बच्चों की पूरी क्षमता का विकास देश में किये जा रहे मानव संसाधन विकास प्रयासों का एक अनिवार्य घटक है अतः महिला एंव बाल विकास विभाग की स्थापना महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को आवश्यक गति प्रदान करने लिए वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई। विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में योजनाओं नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण करता है, विधान बनाता है उनमें संशोधन करता है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का मार्ग दर्शन और समन्वय करता है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है।[3]

उप–योजना क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं की आय स्तर बढ़ाना है। जिससे वे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास में बेहतर और व्यवस्थित ढंग से सहयोग कर सके।

महिला विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ

महिलाओं के विकास व उन्नयन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों तथा अभिकरणें के माध्यम से प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः महिलाओं के विकास पर आधारित अनेक कार्यक्रम संचाालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचाालित की जा रही है। कुछ योजनाएँ विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए है तो कुछ महिला एवं पुरूष दोनो के विकास पर आधारित है। इन योजनाओं का संचालन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा किया जा रहा है।[4]

भारत व राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम –

1. राजस्थान जननी–शिशु सुरक्षा योजना :–

सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव प्रोत्साहित करने के लिए 12 सितम्बर 2011 से केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना को राजस्थान सरकार ने पूर्ण तैयारी के साथ, राजस्थान जननी–शिशु सुरक्षा योजना के रूप में प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की निःशुल्क सेवाएँ यथा दवाइयां, जांच, भोजन और परिवहन इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपयें एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये

की प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। बी.पी.एल. महिलाओं के प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देशी घी का उपहार योजना प्रदेश में 1 मार्च 2009 से लागू है तथा अक्टुबर 2011 तक 69733 महिलाओं को 5 लीटर देशी घी हेतु कूपन जारी किए गए है।[5]

2. जननी सुरक्षा योजना :–

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु सितम्बर 2005 में यह योजना लागू की गई। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की उन महिलाओं को मिलता है जो संस्थागत प्रसव कराती है। बी.पी.एल. महिलाएँ जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो।[6]

3. इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना :–

उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों में पायलेट परियोजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके 0–6 माह के नन्हे शिशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए यह योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मजदूरी की क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध करा उनके समुचित पोषण व स्वास्थ्य की सुनिश्चितता करना है।[7]

4. राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (त्ळैम्।ळ) सबला :–

भारत सरकार के आदेश दिनांक 27/09/2010 के अनुसार राजीव गाँधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत राज्य की 11–15 वर्ष की आयु की स्कूल नही जाने वाली व 15–18 वर्ष की सभी बालिकाओं का वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार जिसमें 600 किलो कैलोरी व 18–20 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएट की मात्रा होगी जिसे उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में पायलट आधार पर 10 जिलो (भीलवाड़ा, जौधपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डुंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, बाडमेर, श्रीगंगानगर) को प्रथम चरण में चयनित किया गया।[8]

5. आशा सहयोगिनी :–

ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। नीला इप्रेन पहनने वाली आशा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के कार्यक्रमों को गाँव स्तर पर लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नियमित टिकाकरण हो या संस्थागत प्रसव या परिवार नियोजन की बात हर कार्यक्रम को सुदृढ़ करने मे आशा की भूमिका अहम है।

6. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :–

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 01/04/1999 से लागू की गई तथा पूर्व में संचालित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राईसम, सीट्रा, गंगा कल्याण योजना, जीवनधारा एवं

द्वाकरा योजनाएँ बन्द की जा चुकी है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे चयनित परिवारों को लाभांवित करने के लिये प्रति ब्लॉक 4–5 गतिविधियों का चयन किया जाकर प्रत्येक स्वरोजगारी को 2 से 3 वर्ष में कम से कम 2000 रूपये प्रतिमाह की शुद्ध आय अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी एवं स्वयं सहायता समूह को लाभार्थी के रूप में लाभांवित किया जा सकेगा।[9]

7. इंदिरा आवास योजना :–

इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई जो 1980 के शुरू में प्रारम्भ हुई 1980 में शुरू होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1983 में शुरू होन वाले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में से एक गतिविधि आवासों का निर्माण था। हालांकि राज्यों में ग्रामीण आवास के लिए कोई समरूप नीति नहीं थी। जून 1985 में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों के एक हिस्से को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों के लिए मकानो का निर्माण करने हेतु अलग रखा गया। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप–योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985–86 में शुरू हुई थी। इस योजना में दिसम्बर 2008 से अक्टुबर 2011 तक कुल 1135.83 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजा के अन्तर्गत कुल निर्मित आवासों में से 2 लाख 12 हजार 738 आवास महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए इसके अलावा योजनान्तर्गत 3 हजार 782 विकलांग परिवारों को लाभान्वित किया।[10]

8. मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना :–

राज्य में 1 अपैल 2011 से प्रारम्भ है।

9. समेकित बाल विकास सेवाएं (टीकाकरण सहित कार्यक्रम) :–

योजनान्तर्गत 6 वर्ष तक उम्र के शिशुओं, गर्भवती च धात्री महिलाओं को विभाग द्वारा पूरक पोषाहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं रेफरल सेवाओं आदि के रूप में 6 सेवाएं आँगनवाडी केन्द्र के माध्यम से उलपब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम कें तहत 3 वर्ष आयु तक के बच्चों व गर्भवती , धात्री महिलाओं को निर्धारित टेकहोम राशन एवं 3–6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता व दोपहर का गर्म खाना उपलब्ध कराया जाता है।[11]

10 निःशुल्क शिक्षा :–

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण व कक्षा 9 से 12 तक सभी वर्ग की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके दी जाती है।[12]

11. गार्गी पुरस्कार व प्रोत्साहन योजना :–

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वी कक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं का कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रू प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप दिए जाते है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली बालिकाओं को 5000 रू प्रमाण पत्र देय है।

12. साईकिल योजना व ट्रांसपोर्ट वाऊचर :–

इसमें अपने निवास से 5 कि.मी. से कम दूरी वाले राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश होने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल उपलब्ध कराई जाती है व 5 कि.मी. से दूर पढ़ने के लिए कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 20 रू. प्रतिदिवस बस किराया देय है।[13]

13. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण / प्रोत्साहन राशि योजना

14. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

15. मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटोप वितरण योजना

16. छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

17 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण योजना

18. प्रधापमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

19. भामाशाह योजना

20. मुख्यमंत्री राजश्री योजना :–

इसमें 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। लाभार्थी बालिका के माता पिता को 50,000 हजार अधिकतम का भूगतान विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

21. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना :– यह योजना 2 अक्टुबर 2011 से प्रारम्भ है।

22. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षाकोष योजना

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष महिला विकासकारी योजना के क्रियान्वयन को देखते हुये यह कह सकते है कि आज महिला कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। इससे महिलाओं में आर्थिक एवं सामाजिक व राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि क्षैत्रो में जागृति आई है लेकिन इसके बावजुद भी महिलाओं की स्थिति में कोई अपेक्षित सुधार नहीं आाय है। इस प्रकार महिला विकास समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जब तक समाज में महिलाओं को उनका यथोचित स्थान प्रदान नहीं किया जाता तब तक समाज और महिलाओं का विकास सम्भव नहीं है। अतः महिला विकास समाज के विकास की अनिवार्यत ही नही अपितु उसकी पूर्णशर्त भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सुची :–

1. डॉ. मौर्य शैलेन्द्र "महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास", पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
2. वैद्य नरेश कुमार, "जनजातिय विकास मिथक एवं यथार्थ", रावत पब्लिकेशसन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।
3. वार्षिक रिपोर्ट 1999–2000 महिला एवं बालविकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,। प्र. सं. 2–3
4. डॉ. मौर्य शैलेन्द्र "महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास", पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
5. 3 वर्ष राजस्थान सरकार की प्रमुख उपलब्धि, "सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर। (जनवरी 2012)
6. मौर्य शैलेन्द्र, "राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक", राजस्थानी साहित्य संस्थान, जौधपुर।
7. ण्तरेंजीलंण्दपबण्पद
8. महिला एवं बाल विकास विभाग, "पंचायत समिति खैरवाड़ा, उदयपुर।

9. स्वयं सहायता समूह का गठन एवं रिकॉर्ड संधारण, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), उदयपुर।

10. राजस्थान सरकार "ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज" सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान, जयपुर। (दिसम्बर 2011)

11. ूण्मकण्तंरेंजींदण्हवअण्पद

12. ूणैपौींण्तंरेंजींदण्हवअण्पद

13. ूण्कबततेंण्पद